राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर

प्रगति विवरण वर्ष 2017–18
(अक्टूबर, 2017 तक)

बोर्ड द्वारा मुख्यतया राज्य में कृषकों को कृषि उपज के विपणन हेतु आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराने के लिए मण्डी प्रांगणों में विकास कार्य व फसलोत्तर प्रबंधन का कार्य सम्पादित किया जाता है। फसलोत्तर प्रबन्धन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन का कार्य बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा निष्पादित प्रमुख कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :–

- राज्य के विभिन्न मण्डी प्रांगणो के विकास हेतु परियोजनाएं तैयार करना, वित्तीय संस्थाओं से परियोजनाए स्वीकृत कराना एवं परियोजनाओं के अनुसार विकास कार्यों का क्रियान्वयन करना।
- कृषि उपज मण्डी समिति के अन्तर्गत ग्रामीण भाग में सीमेन्ट क्रंकीट पेवमेन्ट (सड़क) एवं कृषि उपज मण्डी क्षेत्र में सम्पर्क सड़कों (मिसिंग लिंक) का निर्माण कार्य।
- राज्य के उत्पाद विशेष की बहुलता वाले क्षेत्रों में विशिष्ट मण्डियों की परियोजना तैयार कर उन्हें विकसित करना।
- फसलोत्तर प्रबंधन सम्बन्धी कार्यों हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना।
- कृषि विपणन संबंधी कार्यकलापों का प्रचार–प्रसार।
- कृषि विपणन बोर्ड, कृषि विपणन निदेशालय एवं मण्डी कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।
- राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि विपणन प्रोत्साहन नीति–2015

बोर्ड द्वारा संचालित मुख्य कार्यक्रम/योजनाएं :

निर्माण कार्य

वित्तीय वर्ष 2017–18 में मण्डी यार्डों के निर्माण व रख–रखाव और अन्य विभागों के डिपोजिट कार्यों पर कुल 250.00 करोड़ रूपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2017–18 में निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्ध अक्टूबर, 2017 तक 7704.20 लाख रूपये भवन निर्माण, 6592.70 लाख रूपये सड़क निर्माण व 5432.73 लाख रूपये डिपोजिट कार्यों पर व्यय किये गये। इस प्रकार इस वर्ष में माह अक्टूबर, 2017 तक कुल 19729.63 लाख रूपये निर्माण कार्यो पर व्यय किये गये।

किसान भवन

किसानों को सस्ती दर पर ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही कृषि व कृषि विपणन के संबंध में नवीनतम जानकारियां व प्रशिक्षण देने, कृषि आदानों की एक ही छत के नीचे आपूर्ति के उद्धेश्य से समस्त संभागीय व जिला स्तर पर किसान भवन बनाये गये है। जयपुर किसान भवन का संचालन कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है एवं इसके अतिरिक्त सभी किसान भवनों का संचालन कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा किया जा रहा है।

किसान कल्याण कोष की स्थापना

राज्य के किसानों को आवश्यक विपणन सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसान कल्याण कोष की स्थापना हेतु अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11.05.2005 को जारी की गयी, जिसके अनुसरण में बोर्ड के द्वारा ''किसान कल्याण कोष'' की स्थापना की गयी। इस कोष का उपयोग उत्पादन से विपणन तक के क्रियाकलापों के लिए किया जाता है। राज्य में उक्त कोष से पैक हाऊस निर्माण, कोल्ड स्टोरेजों के निर्माण व अन्य कृषक कल्याण के कार्य करवाये गये हैं।

एग्रो ट्रेड टॉवरों का निर्माण

राज्य में कृषि उपज मण्डी समिति, श्रीगंगानगर, कोटा व खैरथल के अंतर्गत एग्रो ट्रेड टॉवरों का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा उक्त तीनों एग्रो ट्रेड टॉवरों हेतु क्रमशः 1387.00 लाख रूपये, 1260.68 लाख रूपये व 708.44 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। तत्पश्चात् कृषि उपज मण्डी समिति बहरोड़, निवाई व उदयपुर में एग्रो ट्रेड टॉवरों के निर्माण हेतु क्रमशः 1079.00 लाख रूपये, 1164.89 लाख रूपये व 1400.00 लाख रूपये की स्वीकृति जारी की गई। उक्त एग्रो ट्रेड टॉवरों में दुकानें, बैंक, रेस्टोरेन्ट, ए.टी.एम. आदि मूलभूत सुविधाओं का निर्माण कराया जा रहा है। श्री गंगानगर एग्रो ट्रेड टॉवर का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कोटा व खैरथल एग्रो ट्रेड टॉवर का कार्य प्रगति पर है। बहरोड़ के निर्माण कार्य की निविदा आंमत्रित की जा चुकी है तथा निवाई व उदयपुर के निर्माण हेतु कन्सल्टेन्सी, तकमीनें व ड्राईंग आदि की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इनके निर्माण पर अब तक 1712.86 लाख रूपये व्यय हुये हैं।

राजीव गांधी कृषक साथी योजना–2009

इस योजना के अंतर्गत कृषकों/खेतीहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य अथवा मण्डी प्रांगण में विपणन कार्य करते समय, गांव से मण्डी तक विक्रय करने के अगले दिन तक लौटते हुए दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर बोर्ड द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों के जरिये सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत सहायता राशि 5000/– रूपये से 2,00,000/– रूपये तक दी जा रही है। वर्ष 2017–18 में अक्टूबर, 2017 तक 867 व्यक्तियों को राशि 1115.25 लाख रूपये की आर्थिक सहायता का संबंधित मण्डियों को पुर्नभरण किया गया।

राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि विपणन प्रोत्साहन नीति–2015

राज्य में कृषि प्रसंस्करण व कृषि विपणन को प्रोत्साहन देकर कृषि क्षेत्र में आय वृद्धि, फसलोत्तर हानि में कमी व कृषि ओद्यौगिक विकास के लिए आवश्यक आपूर्ति श्रृंखला, निर्यात को प्रोत्साहन एवं आधारभूत संरचना तैयार करने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि विपणन प्रोत्साहन–नीति 2015 लागू की गई ।

योजनान्तर्गत कृषि प्रसंस्करण इकाईयों को RIPS– 2014 में देय लाभ के अतिरिक्त फल एवं सब्जियों एवं अन्य औद्यानिकी उत्पाद के निर्यात पर 4.50 रूपये प्रति किलोग्राम अथवा FOB वेल्यू का 20 प्रतिशत जो भी कम हो, रूपये 10 लाख प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा तक 3 वर्ष तक अनुदान देने का प्रावधान है।